



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062021-227654
CG-DL-E-16062021-227654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2179]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943

No. 2179]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISHTHA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून 2021

का.आ. 2343(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, एक अधिसूचना का. आ. 1754(अ). दिनांक 05.05.2021 को सरकारी राजपत्र में और हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) और अजित (पंजाबी) में दिनांक 12.05.2021 को प्रकाशित किया गया था। भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, केंद्रीय सरकार यहां निम्नलिखित संशोधन करती है (उपरोक्त अधिसूचना में)

1.

“पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH503D के कि.मी. 0 से कि.मी.22 (कोर्ट रोड रिअलोतो चौक ऑप रिअलोतो सिनेमा मोहिंद्र कॉलोनी अमृतसर, पंजाब) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ”

के रूप में पढ़ा जाएगा

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH503D (ब्यास बटाला डेरा बाबा नानक) के कि.मी. 0 से कि.मी.22 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी

2.

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH503D के कि.मी. 0 से कि.मी.22 (कोर्ट रोड रिअलोतो चौक ऑप रिअलोतो सिनेमा मोहिंद्र कॉलोनी अमृतसर, पंजाब) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

के रूप में पढ़ा जाएगा

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH503D (ब्यास बटाला डेरा बाबा नानक) के कि.मी. 0 से कि.मी.22 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

[फा. सं. NHAI/PIU-ASR/Beas-BabaBakala-DBN/LA/3A/3D Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2021

S.O. 2343(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), a notification bearing no. 1754 (E) was published in the official gazette on 05.05.2021 and in newspapers "Hindustan Times (English) and Ajit (Punjabi) on 12.05.2021. Based upon the CALA report, the Central Govt. hereby makes the following amendment(s) in the above notification:

1.

"(widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH503D on the stretch of land from Km 0 to Km 22 (Court Road Rialoto Chowk, opp. Rialoto Cinema, Mohindra Colony, Amritsar, Punjab) in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB."

Shall be read as

(widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-503D (Beas Batala Dera Baba Nanak) on the stretch of land from Km 0 to Km 22 in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB."

2.

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH503D in the stretch of land from Km 0 to Km 22 (Court Road Rialoto Chowk, opp. Rialoto Cinema, Mohindra Colony, Amritsar, Punjab) in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB

Shall be read as

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-503D (Beas Batala Dera Baba Nanak) in the stretch of land from Km 0 to Km 22 in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB

[F. N. NHAI/PIU-ASR/Beas-BabaBakala-DBN/LA/3A/3D Corr.]

RAJESH GUPTA, Director